आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख
02.04.2019		

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-35/2019

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

अपराधकर्मी सदानन्दन मण्डल

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **2048/सी0आर0, दिनांक 27.03.2019** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **सदानन्द मण्डल, पिता-स्व0 धृत नारायण मण्डल, सा0-रामपुर परिहट डुब्बा टोला, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **सदानन्द मण्डल, पिता-स्व0 धृत नारायण मण्डल, सा0-रामपुर परिहट डुब्बा टोला, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इनका एक संगठित गिरोह है, जो **हत्या एवं कई गम्भीर शीर्ष के काण्डों** में आरोपित रहा है। जिसके आतंक से लोगों में दहसत का माहौल व्याप्त है। वर्त्तमान में ये अपराधकर्मी जमानत पर मुक्त हैं। अगर इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगामी लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाताओं को भयभीत कर सकता है एवं उन्हें मतदान से वंचित करने का प्रयास भी कर सकता है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. रूपौली थाना कांड संख्या-171/2014 दिनांक-31.07.2014, धारा-302/201/34 भा0द0वि0

2. **रूपौली थाना अप्राथमिकी संख्या-193/2015 दिनांक-10.10.2015**
3. **रूपौली थाना अप्राथमिकी संख्या-372/2019 दिनांक-24.03.2019**

इस वाद में विपक्षी को **थानाध्यक्ष, रूपौली** के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया, परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय **XVI** या अध्याय **XVII** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **सदानन्द मण्डल, पिता-स्व० धृत नारायण मण्डल, सा०-रामपुर परिहट डुब्बा टोला, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** को **रूपौली** थाना क्षेत्र से तड़ीपार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने के छः माह पूर्ण होने तक **प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को थाना-कसबा में** पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 दिन के बीच उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। शेष दिवस को **स्थानीय थाना रूपौली** में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

विपक्षी यदि दिनांक 18.04.2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पुर्व संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने का रूटचार्ट एवं मोबाईल नं० **थानाध्यक्ष, कसबा** को उपलब्ध कराते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को स्थानीय थाना **रूपौली** में भी सूचना देंगे।

अत्एव **सदानन्द मण्डल, पिता-स्व० धृत नारायण मण्डल, सा०-रामपुर परिहट डुब्बा टोला, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु **थानाध्यक्ष, कसबा/रूपौली** को भेजें।

थानाध्यक्ष, कसबा/रूपौली को निदेश दिया जाता है कि वे

अपने थाना में अपराधकर्मी **सदानन्द मण्डल, पिता-स्व0 धृत नारायण मण्डल, सा0-रामपुर परिहट डुब्बा टोला, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगें तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेगें।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा/सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।